सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 06/16 **निर्णय दिनांकः– 29.08.2019**

1. चन्द्रवती पत्नी हड़मानसिंह जाति जाट निवासी चक 13 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. रामचन्द्र
3. बालमुकन्द
4. उदयभान
5. सुभाष

पुत्रगण हड़मान सिंह जाति जाट निवासी चक 13 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. विजयसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ग्राम गगौर तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15–06–1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 15–06–1982 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि चक 13 केजेडी (बी) के मुरब्बा नम्बर 165/33 के किला नम्बर 1 ता 21 तादादी 21 बीघा भूमि पूर्व में नेतराम पुत्र भूराराम को वर्ष 1976 में आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नेतराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1992 में अपीलांट् को विक्रय कर दी गई। इसी मुरब्बें के किला नम्बर 22 ता 25 की 04 बीघा भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु नेतराम पुत्र भूराराम द्वारा भी अपना आवेदन पेश कर रखा था। चूंकि वादग्रस्त भूमि के अपीलांट बोनाफाईड परचेजर है तथा नेतराम पुत्र भूराराम के वादग्रस्त भूमि निहित तमाम हक व हकूक अपीलांट्स में निहित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के स्माल पेच आवंटन के अपीलांट्स भी अधिकारी थे। ऐसी स्थिति में स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है।

अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 23—05—2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 13 केजेडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 165/33 में स्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। अपीलांट के तत्समय वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक व हकूक नहीं था। अपीलांट एक बोनाफाईड परचेजर है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की पात्रता उनकी नहीं बनता है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि चक 13 केजेडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 165/33 के किला नम्बर 22 ता 25 तादादी 04 बीघा भूमि का स्मालपेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 15—06—1982 को किया गया था। जबकि अपीलांट द्वारा वर्ष 1992 में उक्त मुरब्बा नम्बर 165/33 के किला नम्बर 1 ता 21 तादादी 21 बीघा भूमि पूर्व के आवंटी नेतराम पुत्र भूराराम से क्रय की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि के किये गये आवंटन के समय अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के हक व हकूक पैदा नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती क्रय की गई भूमि पर पूर्ववर्ती हुए आवंटन को 34 वर्ष उपरान्त अपील के माध्यम से चुनौती देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट द्वारा आवंटन के 34 वर्ष बाद तथा भूमि क्रय करने के 28 वर्ष उपरान्त पूर्व में आवंटित भूमि को स्माल पेच के रूप में आवंटन हेतु अपील पेश करने में हुए विलम्ब के लिये बताये गये कारण संतोषजनक नहीं है तथा विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है। अतः अपील मियांद बाहर होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील प्रभावित पक्षकार नहीं होने तथा अपील मियांद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—06—1982 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर